



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

रामधन रैगर
वित्त नियंत्रक

क्रमांक: एफ.3()//श्रीकनकृवि/वि.नि./वेलफेयर/2019/5221-25 दिनांक : 05.03.2019

आदेश

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार कर्मचारी कल्याण कोष नियम एवं विनियम 2011 में निम्न संशोधन किये जाते हैं :

1. योजना के तहत कर्मचारियों को जो ऋण स्वीकृत किया जा रहा है, उसकी वर्तमान ऋण सीमा 7.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख एवं नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 2.00 लाख से बढ़ाकर 3.00 लाख किया जाता है।

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
2. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
3. समस्त निदेशक/अधिष्ठाता/क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान/अतिरिक्त निदेशक (बीज)/प्रभारी अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/परीक्षा नियन्त्रक/विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
6. लेखाशाखा, प्रशासनिक कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

वित्त नियंत्रक